दस रुपये
TEN RUPEES

//श्री//

प्रकरण क्रमांक / 2007

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर केम्प इन्दौर के समक्ष :

सुखविन्दरसिंह नैय्यर पिताश्री
आयु लगभग 50 वर्ष, धंधा – चिकित्सक,
216, ट्रेड हाऊस, साऊथ तुकोगंज, इन्दौर .. प्रार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा
कलेक्टर, इन्दौर
विवेक अग्रवाल एवं
तहसीलदार, इन्दौर
रजनीश श्रीवास्तव .. प्रतिप्रार्थी

आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 2 न्यायालय अवमानना अधिनियम.

माननीय महोदय की सेवा में प्रार्थी तर्फे विनम्र निवेदन है कि : –

1/ यहकि, माननीय महोदय के समक्ष प्रकरण कमांक 1741/च्ठत/2001 में पारित आदेश दिनांक 21/9/2001 से अधिनस्त न्यायालय का आदेश आगामी आदेश तक स्थगित किया गया था ।

2/ यहकि, माननीय न्यायालय के स्थगनादेश के बावजूद कलेक्टर, इन्दौर एवं तहसीलदार, इन्दौर द्वारा विवादित भूमि का कब्जा दिनाक 5/5/06 को बिना इस माननीय न्यायालय की आज्ञा के प्राप्त किया गया होकर इस माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है ।

3/ यहकि, कलेक्टर, इन्दौर जो कि प्रकरण में प्रतिप्रार्थी थे और उन्हें इस प्रकरण में सूचनापत्र की तामिली होकर उनकी ओर से उपस्थिति दी गई होकर प्रकरण में उनकी ओर से पैरवी की जा रही थी । कलेक्टर, इन्दौर द्वारा उन्हे इस तथ्य की सम्पूर्ण जानकारी होने के पश्चात् भी वादग्रस्त भूमि का आधिपत्य यह कथन करते हुए प्राप्त किया गया इस माननीय न्यायालय द्वारा स्थगनादेश निरस्त कर दिया गया है जबकि प्रकरण का रेकार्ड का अवलोकन करने से यह स्थिति नहीं है ।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक **मिसलेनियस 704-पीबीआर/2007 जिला इंदौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	**आवेदकपक्ष की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं । आवेदकपक्ष व उसके अधिवक्ता को तीन बार पुकार लगवाई गई, परन्तु आवेदक पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । अत: प्रकरण आवेदक पक्ष के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।** **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	